# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –(1–3) 2063, 2064, 2065/2013.....जिला.....बाडमेर.....

उनवान – मैसर्स पालीवाल हरीराम खीमराज, बालोतरा, बाडमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बालोतरा।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**खण्डपीठ**
**श्री मदन लाल, सदस्य**
**श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य**

28/12/2015

अपीलार्थी द्वारा यह तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.09.2013, 05.09.2013, एवं 30.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बालोतरा (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष कमशः 2008–09, 2009–10 व 2010–11 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2011, 18.04.2013 व 22.01.2013 के जरिये निम्न तालिकानुसार कायम की गयी वसूली के संबंध में प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश को अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान उक्त राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

| अपील संख्या | क.नि.वर्ष | आरोपित | | | चाहा गया स्थगन |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कर | ब्याज | शास्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2063/13 | 2008–09 | 114698 | 45751 | 1500 | 161951 |
| 2064/13 | 2009–10 | 82130 | 25546 | 400 | 108072 |
| 2065/13 | 2010–11 | 51175 | 1183 | – | 52358 |

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.महेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा "ब्राण्डेड कन्फेन्क्शनरी"पर 4 प्रतिशत की कर दर जरिये अधिसूचना कमांक एफ.12(15) एफ.डी./टैक्स/ 2008–19 दिनांक 03.06.2008 से पहली बार अनुसूची –IV के कमांक 174 पर नया इन्द्राज जोड़कर विहित की गयी है। अग्रिम तर्क दिया कि आलोच्य अवधि में "ब्राण्डेड कन्फेन्क्शनरी" पर कर दर 4

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –(1–3) 2063, 2064, 2065/2013.....जिला.....बाडमेर.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 2 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/12/2015 | प्रतिशत ही थी जिसेराज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना अधिसूचना कमांक एफ.12(22) एफ.डी./टैक्स/10–83 दिनांक 09.03.2010 के क्लॉज (ii) के जरिये विद्यमान अभिव्यक्ति 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की गयी है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि दिनांक 08.03.2010 तक ब्राण्डेड कन्फेन्क्शनरी 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य थी एवम् दिनांक 09.03.2010 से उक्त 5 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य हुयी है ।इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स पारले प्रोड्क्ट प्रा.लि. व मैसर्स पारले बिस्कुट्स प्रा.लि., निमराना से माल कय कर आगे "विकय" करने के के कारण विकय आवली (Series of Sale) में वह (अपीलार्थी व्यवहारी) द्वितीय व्यवहारी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा पारित मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. अजमेर के अपील कमांक 431/2012/अजमेर निर्णय दिनांक 07.03. 2013 के प्रकाश में प्रथम विकेता व्यवहारी मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि., द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय के अनुकम में उक्त अवधि में निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि के विरूद्ध कायम की गयी मांग राशियां राजकोष में अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवायी जा चुकी हैं एवम् माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 07.03.2013 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त विवादित बिन्दु पर अपील दायर की गयी है । अतः ऐसी स्थिति में, मैसर्स मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि. अजमेर से कीत माल के समस्त विकय मूल्य पर पुनः अपीलार्थी व्यवहारी पर करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि प्रथम विकेता पर विकय कीमत, जो अपीलार्थी व्यवहारी की कय कीमत है, पर कर वसूल हो चुका है। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित मैसर्स राकेश जनरल स्टोर, बनाम् वा.क.अ., वृत्त–बी, अलवर के अपील कमांक 2520/2011/अलवर निर्णय दिनांक 14.12.2011 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरणों से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।<br>विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स परफैटी वानमेले प्रा.लि.,अपील संख्या 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 26.07.2011के निर्णय को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –(1–3) 2063, 2064, 2065/2013.....जिला.....बाडमेर.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 3 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/12/2015 | विधि व पूर्व में भी अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2013 में समस्त तथ्यात्मक स्थिति, जिसमें बिकीत माल के सम्मिश्रण व अवयवों शामिल होने के बिन्दु एवम् विधिक स्थिति पर पूर्ण रूप से विचार किया जाकर पारित किया गया है उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना कमांक 2005–51 दिनांक 08. 05.2006 के द्वारा "अन–ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी" 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो गयी थीं अतः "ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी" अनुसूची–V में अंकित इन्द्राज के अनुसार कर योग्य थी। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह तर्क देना कि आलोच्य अवधि में कर दर दिनांक 08.03.2010 तक "ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी" पर कर दर 4 प्रतिशत ही थी, अविधिक एवम् अनुचित है। अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने का निवेदन किया गया।<br>उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन, संदर्भित अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 व दिनांक 09.03.2010 के अध्ययन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विकेता मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि. द्वारा 12.5/14 प्रतिशत की दर से सृजित मांग राशि राजकोष में जमा करवायी गयी है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मैसर्स परफैटी वानमेले प्रा.लि., अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 26.07. 2011 व अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण अपील संख्या 387, 388, 389 व 390/2013/उदयपुर में ही कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 में समान बिन्दुओं पर रोक आदेश पारित किया गया है। लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर, वसूली योग्य मांग राशि की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक रोक इस शर्त के साथ लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा । रिकॉर्ड तलब हो। अपील प्रकरण सुनवायी हेतु **दिनांक 26.02.2016** को खण्डपीठ के समक्ष अजमेर में पेश हो । रिकॉर्ड शीघ्र तलब हो।<br>निर्णय सुनाया गया ।<br>(मोहनलाल नेहरा)<br>सदस्य<br>28.12.15<br>(मदन लाल)<br>सदस्य | |